न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 118 / 2025
किस्म :– प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक : 18.08.2025
निर्णय दिनांक: 13.05.2026

अनवान

1– नाथुलाल पिता डालचन्द जाति जाट निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1– खेमराज पिता लक्ष्मण ब्राह्मण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
2– सुरेशचन्द्र दत्तक पुत्र किशनलाल ब्राह्मण निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
3– मोहनलाल पिता डालचन्द जाट निवासी सिन्देसर खुर्द तहसील रेलमगरा
7– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थी अधिवक्ता– परसराम जाट
अप्रार्थीगण अधिवक्ता– सईदशेख

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोजा सिन्देसर खुर्द पटवार हल्का राजपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द की सीमा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1368 / 926 रकबा 0.6273 हेक्टेयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी की स्वयं की है प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित नकल साथ संलग्न है।यह कि प्रार्थी की उपरोक्त आराजी आराजी संख्या 1368 / 926 में आने जाने हल, बैल, बैलगाड़ी आदि लाने ले जाने हेतु आम रास्ता आराजी संख्या 950 से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 1019, 961 व निरंतर 1367 / 362 की पश्चिमी पाली पर स्थित रास्ते से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अपनी (प्रार्थी) की आराजी संख्या 1368 / 926 की पश्चिमी पाली के उत्तरी कोने पर प्रवेश करते है तथा रास्ता मौके पर मौजूद होकर 13–14 फिट चौड़ा रास्ता मौके पर मौजूद है जिससे प्रार्थी अपनी कृषि आराजीयात् आराजी संख्या 1368 / 926 के उपयोग उपभोग हेतु हल, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। यह कि आराजी संख्या 1019 व 961 विपक्षीगण संख्या 1एक व 2दो के नाम पर रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज है तथा आराजी संख्यत् 1367 / 982 विपक्षी सं. 3तीन के नाम पर रेवेन्यू रेकॉर्ड में दर्ज होने से विपक्षीगण आये दिन लड़ाई झगड़ा कर रास्ते को बंद कर देते है व झूठे मुकदम लगाने की धमकियां देते है। जिस कारण प्रार्थी को अपनी आराजीयात् में आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराना आवश्यक हो गया है तथा प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1368 / 926 में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है जिस हेतु प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जा रहा है।यह कि प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहे है। न्यायालय द्वारा रास्ते के एवज में 13–14 फिट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते या जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसको प्रार्थीगण तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। उक्त रास्ते को प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2दो में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में रास्ता के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश है।यह कि विपक्षीगण प्रार्थी को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे है तथा वर्तमान में 5 दिन पूर्व प्रार्थी उक्त रास्ते से अपनी आराजीयात में ट्रेक्टर लेकर हांकने के लिए जाने लगा तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को बंद कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त जायदाद एवं पक्षकार न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 1368/962 में आने जाने हल, बैल, बैलगाड़ी लाने ले जाने हेतु आम रास्ता आराजी संख्या 950 से होकर आगे दक्षिण की ओर बढ़ते हुए प्रार्थी की आराजी संख्या 1368/962 के पश्चिमी पाली की बोर बढ़ते हुए प्रार्थी की आराजी संख्या 1368/926 के पश्चिमी उत्तरी कोने तक 13–14 फीट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई का रास्ता दिलाये जाने का आदेश बक्षाया जावें। यह कि उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थी अदा करने को तैयार है तथा प्रार्थी द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात् उक्त रास्ते को राजस्व रेकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षीगण संख्या 03, बावजुद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 01 व 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया। जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी रास्ते के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें यह बताया कि प्रार्थी को मांगे किये गये रास्ते की अत्याधिक आवश्यकता है। चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रस्तावित रास्ते कि चौडाई 4.05 मीटर होकर सम्पुर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 1019 में से 0.3232 हैक्टर, 961, में से 0.0207 हैक्टर, 1367/962 में से 0.0198 हैक्टर होकर कुल रकबा 1737 वर्गमीटर भूमि रास्ते से प्रभावित होगी। प्रस्तावित रास्ता नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। आराजी नम्बर 961 की पूर्व दिशा की मेड़ पर मौके पर कुआं है, आराजी नम्बर 961 की पश्चिम दिशा की मेड़ पर करीब 5 फीट गहरा खड्डा खुदा हुआ है। जहाँ से रास्ता प्रस्तावित किया गया है। आस–पास में और कोई विकल्प नही है। प्रस्तावित रास्ते में कोई फसल, पेड, पौधे या निर्माण इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आगे जा कर खेतों में जाने वाले रास्ता के आराजी नम्बर 950 बिलानाम दर्ज है जिससे मिलता है। प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अनुसार गणना रिपोर्ट टी०आर०ए० शाखा से ली गई जिसके अनुसार वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दर 54,45,600/– रूपये प्रति हैक्टेयर से रकबा 1737 वर्गमीटर भूमि की दो गुणा राशि 18,92,000/– रूपये बनते है। मौके पर विपक्षी सुरेश ने रास्ता हेतु भूमि देने से इनकार किया तथा विपक्षी खेमराज का पुत्र भेरूलाल हिन्दुस्तान जिंक द्वारा तय राशि अनुसार डी.एल.सी.रेट तय करा रास्ता देने हेतु सहमति जाहिर की। अतः मूल ही प्रस्ताव श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस नही करना चाहा। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एंव बहस के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य है।

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता हैं की ग्राम सिन्देसर खुर्द में प्रस्तावित रास्ते कि चौडाई 4.05 मीटर होकर सम्पुर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 1019 में से 0.3232 हैक्टर, 961, में से 0.0207 हैक्टर, 1367/962 में से 0.0198 हैक्टर होकर कुल रकबा 1737 वर्गमीटर भूमि रास्ते से प्रभावित होगी। प्रस्तावित भुमि की डी.एल.सी. अनुसार राशि 54,45,600/– प्रति हैक्टर से रकबा 1737 वर्गमीटर भुमि की दो गुणा राशि 18,92,000/ –रूपये बनते है। प्रार्थी नियमानुसार तहसीलदार रेलमगरा के कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें। तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा